



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

RPCB/RO KSG/PUB-52/ 1178

Date: 14.07.2020

Shri Gopal Lal Gurjar,
Ward no. 11, Gurjar Mohalla, Majra Devpura
Ekalsingha, Tehsil Kekri,
District Ajmer

Shri Ram Prasad Gurjar,
Village Ekalsingha, Tehsil Kekri,
District Ajmer

Sub:- Public Hearing for the grant of Environmental Clearance for Chabariya & Ekalsingha Granite Cluster mining project, Shri Gopal Lal Gurjar, ML no. 50/2018 Village- Chabariya, production capacity- 283301TPA(ROM) &Shri Ram prasad Gurjar, ML no. 87/2018, production capacity-260980 Village- Ekalsingha, Tehsil Kekri, District Ajmer .

Reference:- office of District Collector Ajmer letter no. 14943 dated 09/07/2020

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before 24/07/2020. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Lasadiya, Tehsil Kekri, District Ajmer at 11.00 AM on 24/08/2020** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

sdr
(Rakesh Gupta)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur for information.
2. The District Collector, Ajmer in compliance of your letter no. 14943 dated 09/07/2020.
3. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of Board.

dinesh
Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

राप्रनिम/क्षैका किश/राज/पीयूबी-52/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोपाल लाल गुर्जर एवं श्री रामप्रसाद गुर्जर द्वारा छाबड़िया एवं एकलसिंगा ग्रेनाईट क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट श्री गोपाल लाल गुर्जर क्लस्टर संख्या-19, खनन पटटा संख्या 50/2018, क्षेत्रफल 2.6346 हेक्टेयर, अनुमानित खनन क्षमता-283301 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) निकट ग्राम छाबड़िया एवं श्री रामप्रसाद गुर्जर क्लस्टर संख्या-18, खनन पटटा संख्या-87/2018, क्षेत्रफल-1.1405 हेक्टेयर, अनुमानित खनन क्षमता-260980 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), निकट ग्राम एकलसिंगा, तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान) से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री गोपाल लाल गुर्जर एवं श्री रामप्रसाद गुर्जर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, अजमेर।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. सदर्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 5. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 6. कार्यालय खनिज अभियंता, खान व भू-विज्ञान विभाग, अजमेर।
 7. तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2020/14943 दिनांक 09.07.2020 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24/08/2020 को प्रातः 11.00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाडिया, तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आपेक्ष/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(राकेश गुप्ता)
(राकेश गुप्ता)